न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—136/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/136)

1. भंवरलाल पुत्र हमीरा जाति रावत
2. जयराम पुत्र रामा जाति रावत
3. भागचंद पुत्र रामा जाति रावत
4. तारा पुत्री रामा जाति रावत
5. कमला पुत्री रामा जाति रावत
6. मन्नी पुत्री रामा जाति रावत
7. कानी पुत्री रामा जाति रावत
8. सहसकरण पुत्र रामा जाति रावत समस्त निवासी ग्राम हाथीपट्टा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकरण पुत्र पांचू जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.08.2020 राजस्व वाद संख्या 10/2019.

उपस्थितः—

1. श्री, एस0पी0औझा, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री, सहदेव चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः— 27.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदनकर्ता की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम हाथीपट्टा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 147/134 के हाल खसरा नम्बर 283, 284, 285 के कुल रकबा 1.18

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हैक्ट0 किस्म बारानी 2 आराजीयात भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी को अपनी उक्त जोत में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा इसके अडवा स्थित अप्रार्थी के खातेदारी संख्या 282 में से होकर ही रास्ता निकाला जा सकता है अतः प्रार्थी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 282 रकबा 0.10 है0 में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है जिस रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता है एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 283, 284, 285 का प्रमाणित नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसमें आवेदित रास्ते को डोटेड लाइन से दर्शित किया गया है। प्रार्थी की जोत के उत्तर की ओर खसरा नम्बर 282 है जो कि सिवायचक है तथा खसरा नम्बर 282 के पश्चिमी दक्षिणी ओर खसरा नम्बर 281 है जो कि किसी अन्य खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 282 के उत्तरी ओर सरकारी रास्ता है। अतः प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं प्रार्थी को खसरा नम्बर 282 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है तथा इसके लिए प्रार्थी मान्यवर के आदेशानुसार प्रतिकर की राशि अदा करने व अन्य समस्त शर्तों की पालना करने को सहमत व तत्पर है एवं अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर है तथा प्रार्थी ने रास्ता दिलाने के लिए अप्रार्थी को निवेदन किया तो उन्होंने मान्य न्यायालय के आदेश पर ही रास्ते देने क लिए कहा। अतः प्रार्थना पत्र में अनुतोष के रूप में खसरा नम्बर 282 में 30 फिट चौडा रास्ता दिलाए जाने एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए पेश किया गया तथा उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2020 को खारिज किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 को बिना कोई बहस सुनवाई किए इस आधार पर खारिज कर दिया कि दस्तावेज पेश नहीं किए गए तथा पुनः विवादित आदेश दिनांक 04.08.2020 को रास्ता दिलाने का पारित किया गया जबकि दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 282 के पुराने खसरा नम्बर 233 रकबा 2–0–0 वर्किंग जमाबंदी में अपीलार्थीगण के नाम नामांतरण संख्या 51 व 22 से खातेदारी दर्ज किया गया को त्रुटिपूर्ण तरीके से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नमबर 282 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया कि दुरूस्ती का वाद अपीलार्थीगण ने हाजा अधीनस्थ न्यायालय में उनवान भंवरलाल बनाम सरकार प्रकरण संख्या 116/2018 के रूप में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाकर मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया गया। जो अपास्त किया जावे, यह कि दावाकृत भूमि में प्रार्थी/अपीलार्थीगण का हित निहित होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र

बिना सुनवाई के खारिज करते हुए प्रार्थी आवेदनकर्ता की भूमि के मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता हाल खसरा नम्बर 282 में से बताते हुए गलत तरीके से व्याख्या कर रास्ता दिया गया है जबकि ब्लॉक का रास्ता हाल खसरा नम्बर 284 व 286 के पास के होते हुए भी प्रार्थी अपीलार्थीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 281 व 282 को हड़पने के लिए प्रार्थी/आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विवादित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 को निरस्त किए जाकर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण में पक्षकार मुर्तिव कर सुनवाई का अवसर दिए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम हाथीपट्टा तहसील नसीराबाद की सरहद में स्थित खाता नम्बर 147/134 के हाल खसरा नम्बर 283, 284 व 285 के कुल रकबा 1.18 है0 किस्म बारानी–2 आराजी भूमि अप्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है जिस पर वह काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी को अपनी उक्त जोत में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा इसके अड़वा स्थित प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 282 में से होकर ही रास्ता निकाला जा सकता है। अतः अप्रार्थी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 282 रकबा 0.10 है0 में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है जिस रास्ते की अप्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता है। अप्रार्थी के खसरा नम्बर 283, 284 व 285 का प्रमाणित नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसमें आवेदित रास्ते को डोटेड लाइन से दर्शित किया गया हैं। अप्रार्थी की जोत के उत्तर की ओर खसरा संख्या 282 है जो किं सिवायचक है तथा खसरा संख्या 282 के पश्चिमी–दक्षिणी ओर खसरा संख्या 281 है जो कि किसी अन्य खातेदारी में तथा खसरा संख्या 282 के उत्तरी ओर सरकारी रास्ता है। अतः अप्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने में अन्य कोई वैकल्पिक साधन नहीं होने के कारण, प्रार्थी/वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को खसरा संख्या 282 में से 30 फुट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है तथा इसके लिए अप्रार्थी आदेशानुसार प्रतिकर की राशि अदा करने व अन्य समस्त शर्तों की पालना करने को सहमत व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र पेश किए जाने से पूर्व प्रार्थी को कानूनी नोटिस दिए जाने से प्रकरण विलंबित होगा। अतः न्याय के हित में अप्रार्थी को ग्राम हाथीपट्टा के खसरा संख्या 282 में से 30 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी से दिलाने की कृपा करे। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में प्रार्थी/ वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम हाथीपट्टा के सिवायचक खसरा नम्बर 282 में से 4 मीटर चौडा व 60 मीटर लम्बा कुल 240 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किए जाते है। उक्त आराजी की डी0एल0सी दर से 2 गुना राशि 9480/रूपए प्रार्थी वर्तमान रेस्पोडेन्ट द्वारा राजकोष में जमा कराने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किए। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2020 को खारिज किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 04.08.2020 को स्वीकार कर नये रास्ते बाबत् अपीलाधीन आदेश पारित किया गया तथा अपीलांट का अपनी अपील में यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय उन्हे प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर ही खारिज कर दिया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष हाल खसरा नम्बर 282 वाकै ग्राम हाथीपटटा तहसील नसीराबाद बाबत् एक वाद पत्र संख्या 116/2018 बउनवानी भंवरलाल उर्फ भंवरा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया हुआ है तथा उक्त वाद में तहसीलदार, नसीराबाद भी पक्षकार संयोजित है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगी गई मौका रिपोर्ट के बिंदु संख्या 5 के प्रत्युत्तर में तहसीलदार, नसीराबाद का विधिक दायित्व था कि वह न्यायालय में लंबित प्रकरण की स्थिति मौका रिपोर्ट के साथ भिजवाते परंतु ऐसा नहीं किया गया, किन्तु तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय उक्त विचाराधीन वाद की सूचना या अंकन अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है, अतःअपीलाधीन आदेश से प्रार्थी/अपीलांटस पीड़ित एवं आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थीगण को बिना सुने व बगैर पक्षकार संयोजित किए पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के विपरीत व विधि विरूद्ध है एवं उपरोक्त वर्णित क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है एवं अपील आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 को निरस्त किया जाता है, तथा पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को संयोजित कर पुनः साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नए सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर